

29/09/25

मुख्यापेक्षा हुआ। मूल पत्रावली अपीलिय  
न्यायालय में विचाराधीन होकर काफी समय  
से न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं हुई है।  
अतः ऐसी खुरदर में अपीलिय न्यायालय से  
पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त अपीलिय न्यायालय  
के शाप निर्देशों के अनुरूप आगामी कार्यवाही की  
जाना इच्छित रहेगा। तब तक मुख्यापेक्षा की कार्यवाही  
को इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली  
प्राप्त होने के उपरान्त मुख्यापेक्षा पत्रावली के साथ  
सैलग्न है। पत्रावली फेब्रुअरी शुमार होकर नम्बर  
से कम है।

(बिन्दी देवल)  
सहायक कमिश्नर एवं  
आपराइट अधिकारी  
मिर्जापुर (उ.प्र.)